हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पढ़ो और आगे बढ़ो

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव, मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मों. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 68902 दिनांक : 07.08.2024

श्रीमान मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली– 110001

पत्र–याचिका

विषयः– नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा नवम्बर, 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के पुनरावलोकन (**Review**) बाबत।

संदर्भः– अनुच्छेद–16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण का आधार जाति नहीं वरन "पिछड़ापन" हो।

मान्यवर,

आप यह भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने का जो समर्थनकारी प्रावधान (**Enabling provision**) है उसमें आरक्षण दिये जाने के लिए "पिछड़ापन" और "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व" होने की दो अनिवार्य शर्तें हैं। इस अनुच्छेद–16(4) में जाति आधारित आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

आप यह भी जानते हैं कि मंडल कमीशन/अन्य पिछड़ावर्ग को आरक्षण से संबंधित इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जाति" को "पिछड़ेपन" का आधार या मापक माना जा सकता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों द्वारा यह भी बार–बार अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक क्रीमिलेयर वर्ग के लोगों को अन्य पिछड़ावर्ग की सूची में शामिल जातियों से बाहर नहीं किया जाता तब तक अन्य पिछड़ावर्ग को दिया गया आरक्षण न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो क्रीमिलेयर की पहचान संबंधी अधिसूचनाऐं (प्रतिलिपि संलग्न) जारी की गई है उनके आधार पर मुश्किल से दशमलव एक प्रतिशत (0.1%) लोग अर्थात मुश्किल से एक हजार में से केवल एक व्यक्ति क्रीमिलेयर की श्रेणी में आ रहा है। जिसके कारण व्यवहारिक रूप से अन्य पिछड़ावर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण पूरी तरह जाति आधारित हो गया है।

(लगातार—— 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पढ़ो और आगे बढ़ो

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665
रामनिरंजन गोड़
महासचिव, मो. 094144-08499
विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

(2)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा यदि उपरोक्त निर्णय में "पिछड़ेपन" की ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा तय कर दी जाती जिसमें जाति और धर्म का नाम नहीं हो, तो आज तक देश के लाखों, करोड़ों वास्तविक पिछड़ों, वंचितों और दलितों का समुचित उत्थान हो चुका होता। आप यह भली भांति जानते हैं कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण का आधार जाति को मान लेने के कारण:-

(1) देश में जाति आधारित ध्रुवीकरण, कटुता और वैमनस्य बढता ही जा रहा है।

(2) विभिन्न जातियों द्वारा अपने समुदाय को आरक्षण दिलवाने अथवा आरक्षण बढवाने के लिए किये गये आंदोलनों में देश को अब तक खरबों रूपये की सम्पत्ति कां नुकसान हो चुका है तथा सैकड़ों लोग अपनी जान गवां चुके है।

(3) सम्पन्न और अगड़ी जातियों में अपने को पिछड़ा साबित करने की होड़ लगी हुई है। इनके दबाव में आरक्षण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।

(4) सम्पन्न और बलशाली जातियॉ अपने अराजक और हिंसक आंदोलनों के बल पर अन्य पिछड़ावर्ग में अपनी जाति वर्ग का नाम जुड़वाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को विवश करती रही हैं। जिसके कारण वास्तविक पिछड़ों और वंचितों तक सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ पहुंचा पाना लगभग असंभव होता जा रहा है।

(5) देश में बड़ी संख्या में जाति आधारित क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का उदय हुआ है जिससे विकासवादी राजनीति को लगातार नुकसान हो रहा है। तथा जातिगत स्वार्थ के आधार पर बने राजनैतिक दल के नेता खुले रूप मे रांजकोष की अविधिक लूट में लिप्त हो रहे हैं, बिहार और हरयाणा के सजायापत्ता मुख्यमंत्री इसके उदाहरण है। इसके अलावा यदि केन्द्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी राष्ट्रीय दल की नहीं बनती है तो ये जातिवादी क्षेत्रीय दल केन्द्र की सरकार को समर्थन के नाम पर सार्वजनिकतौर पर ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकते हैं।

(6) जाति आधारित आरक्षण के कारण जिन जाति आधारित राजनैतिक दलों का उदय हुआ है उन्होंने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की लगातार सीटें छीन कर उसे हासिये पर लाकर

(लगातार—3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (3) दिनांक :

पटक दिया है। इससे हमारे देश में विकासवादी राजनीति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अपने अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी लाचार होकर विकासवादी राजनीति को छोड़कर अब जातिवादी राजनीति करने लगी है जिसके स्पष्ट उदाहरण है –अभी हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के मेनीफेस्टों में जातिवादी मुद्दों को प्राथमिकता देना तथा संसद में कांग्रेस के नेताओं द्वारा आजादी के 75 वर्ष बाद जातिगत जनगणना जैसे पश्छगामी (Retrograde) मुद्दों को जोर–शोर से उठाना।

(7) जाति आधारित आरक्षण के कारण हमारे देश ने हरियाणा का हिंसक जाट आंदोलन, राजस्थान का हिंसक गुर्जर आन्दोलन, गुंजरात का हिंसक पटेल आन्दोलन, महाराष्ट्र का हिंसक मराठा आन्दोलना आदि अनगिनत जातियों के आन्दोलन का दंश झेला है जिसके कारण देश तीव्र गति से जातिगत गृहयुद्ध की तरफ बढता जा रहा है।

(8) जाति आधारित आरक्षण के कारण केन्द्र एवं राज्यों का लोक प्रशासन पूरी तरह जातिगत गुटों में बॅटता जा रहा है, जातिगत भ्रष्टाचार एवं वैमनस्य बढ़ रहा है, सकल प्रशासनिक दक्षता और योग्यता की हानि हो रही है, अनुच्छेद 335 के निर्देशों का रोजाना उल्लंघन हो रहा है।

आप यह भी जानते हैं कि :–

1. अनुच्छेद 16(4) में जाति आधारित आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल "पिछड़ों" को "अपर्याप्त प्रतिनिधत्व" होने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है।

2. अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण का लांभ दिये जाने के लिए "पिछड़ेपन" की ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा होना अति आवश्यक है जिसमें वास्तविक पिछड़ों और वंचितों की पहचान जाति और धर्म से अलग हटकर स्थापित करने की क्षमता हो। यह परिभाषा ऐसी हो ताकि कोई गलत व्यक्ति गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर किसी पिछड़ें का हक मारता है तो उसे कभी भी चिन्हित किया जाकर दण्डित किया जा सके। ऐसी परिभाषा केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित पांच मानदण्डों के माध्यम से तय कर दी गयी है।

(लगातार— 4)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री करण सिंह राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665
रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499
विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

3. आजादी के 75 साल बाद जातिगत व्यवसायों के एकाधिकार की प्रवृति में भारी बदलाव आया है। अब देश में अन्य पिछड़ावर्ग में शामिल जातियों में से कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो पूर्णतया अपने पारिवारिक, पारम्परिक या जाति से जुड़े व्यवसाय पर ही जीवन यापन कर रही हो। ब्राहम्ण खेत जोत रहे हैं, जाट, माली या गुर्जर आदि विभिन्न व्यवसाय या नौकरी कर रहे है, खाती तेल की फैक्ट्रियॉ चला रहे हैं, तेली फर्नीचर का व्यवसाय कर रहे हैं आदि–आदि। केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर ये आंकड़े जुटाये जा सकें कि अन्य पिछडावर्ग में शामिल जातियों द्वारा भारी संख्या में अपनी जातियों से संबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया गया है और अन्य व्यवसायों को उच्च वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अन्य पिछड़ावर्ग में शामिल परम्परागत व्यवसायों से संबंधित वर्गो का पिछड़ापन उनकी जातियों के आधार पर निर्धारित किया जाना पूरी तरह अप्रासंगिक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

4. यदपि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़ावर्ग में शामिल जातियों के संबंधित परम्परागत व्यवसायों से विचलन से संबंधित कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया है फिर भी हम आपके समक्ष केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 01 जनवरी 2022 को जारी केन्द्र सरकार के ही सफाईकर्मियों के आंकड़े संलग्न कर रहे हैं(प्रति संलग्न). जो यह प्रमाणित करते हैं कि सफाईकर्मी (एक अनुसूचित जाति) के जाति आधारित पारम्परिक कार्य करने वालों में 57 प्रतिशत सामान्य और ओबीसी समाज के लोग शामिल हो चुके हैं। इन 57 प्रतिशत में से 17 प्रतिशत ओबीसी और लगभग 40 प्रतिशत लोग सामान्य वर्ग से हैं। इनमें भी ब्राहम्ण वर्ग के सफाई कर्मियों की संख्या सर्वाधिक है।

5. जाति आधारित आरक्षण के कारण अन्य पिछड़ावर्ग की सूची में दबंग और सम्पन्न जातियों के आ जाने से तथा क्रीमिलेयर की अधिसूचनाओं के प्रावधान व्यवहारिक रूप में अप्रभावशाली होने से वास्तविक वंचित और पिछड़ों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाने के कारण सरकारें चिन्तित होने के बावजूद लाचार एवं असहाय

(लगातार— 5)

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणी पश्यन्तु
समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान
पढ़ो और आगे बढ़ो

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665
रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499
विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

स्थिति में खड़ी हैं। राजस्थान में ओबीसी आयोग द्वारा वर्ष 2001–2003 में दी गई रिपोर्ट में ओबीसी के उपवर्गीकरण की सशक्त अभिशंषा की गई थी। ओबीसी सूची में शामिल दबंग, सम्पन्न जातियों के दवाब में राज्य सरकार आज तक इस उपवर्गीकरण की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई है। केन्द्र में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिये रोहिणी आयोग द्वारा एक साल से भी अधिक समय पूर्व अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गई थी लेकिन ओबीसी सूची में शामिल दबंग, सम्पन्न जातियों के दवाब के कारण केन्द्र की सरकार अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई है और संसद में प्रस्तुत करने का साहस नहीं जुटा पा रही है।

6. अनेक राज्यों के उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अनेक निर्णयों में ओबीसी के उपवर्गीकरण या जातियों के अलावा अन्य आधार पर ओबीसी की पहचान के लिए अनेक बार निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन ओबीसी सूची में शामिल दबंग और सम्पन्न जातियों के दवाब के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।

उपरोक्त सभी विधिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं तथ्यात्मक विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण की अवधारणा केवल इसलिये असफल साबित हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पींठ द्वारा नवम्बर–1992 को जाति को पिछड़ेपन का आधार मान लिया गया।

आपसे हमारा आग्रह है कि कृपया आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के पांच मानदण्डों (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। हमारे विचार से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ये पांचों मानदण्ड अनुच्छेद 16(4) में दिये गये "पिछड़ेपन" की वैज्ञानिक और सत्यापनीय (scientific & verifiable) परिभाषा है जिसमें धर्म या जाति का कहीं कोई नाम नहीं है। आज की तारीख में आर्थिक कमजोर वर्ग की पहचान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पांचों मानदण्ड विश्वास योग्य आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर किसी भी जाति वर्ग के वास्तविक कमजोर, पिछड़ों और वंचितों की पहचान करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

(लगातार— 6)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

मान्नीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

मान्नीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

मान्नीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव, मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (6) दिनांक :

अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि नवम्बर–1992 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिये गये इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निर्णय का पुनरावलोकन करते हुये अन्य पिछड़ावर्ग में जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं माना जावे तथा अन्य पिछड़ावर्ग को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए निर्धारित पांचों मानदण्डों के आधार पर चिन्हित करके आरक्षण एवं सरकारी योजना का लाभ दिये जाने के बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अनुग्रह करें।

सादर धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली को देशहित में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. माननीय लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद महोदय को देशहित में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

No.19/4/2017-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
***

2nd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi, the 06th December, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: (i) Establishing equivalence of posts in PSUs, Banks, Insurance Institutions with posts in Government for establishing Creamy Layer Criteria.
(ii) Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's letter No.14/1/93-SCT(B) dated 28.9.1993 forwarding therewith DoP&T's O.M. dated 08.9.1993 regarding reservation for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India. Category II C of Schedule to DoP&T's O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.9.1993 envisaged that equivalence will be established between the posts in PSUs, Banks, Insurance organizations etc. vis-à-vis posts in Government.

2. Government had recently examined the proposal for establishing equivalence of posts in Central Public Sector Undertakings (PSUs), Banks, Insurance Institutions with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria amongst Other Backward Classes. The Government has approved principles for determining the equivalence in respect of Public Sector Banks (PSBs), Public Financial Institutions (PFIs), Public Sector Insurance Companies (PSICs), as conveyed vide DoP&T's O.M. No.41034/5/2014-Estt.(Res.) Vol.IV-Part dated 06.10.2017 (copy enclosed), which inter-alia, provide as follows:

(a) Junior Management Scale-I of PSBs/PFIs/PSICs will be treated as equivalent to Group A in the Government of India and
(b) Clerks and Peons in PSBs/PFIs/PSICs will be treated as equivalent to Group C in the Government of India.

received by mail & by post 07/12/2017

3. Further, the income limit for determination of creamy layer amongst the OBCs have been raised from Rs.6 lakhs to Rs.8 lakhs with effect from 01st September, 2017 vide DoP&T's O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.9.2017 (copy enclosed).

4. The above instructions may please be brought to the notice of all concerned under your organisation for strict compliance under intimation to this Department.

5. This issues with the approval of Secretary(FS).

(Arun Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel.:23748725

Encls. : As above.

To

1. The Managing Director & Chief Executive Officer of all Public Sector Banks.
2. The Chairman, Public Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies.
3. The Chairman, State Bank of India, H.O. Mumbai.
4. The Chief General Manager (HRDD), RBI, Mumbai.
5. The Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), H.O. Hyderabad.
6. The Chairman, Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), H.O. Hyderabad.
7. The Chairman, IBA, Mumbai.

Copy to :

1. I.R. Section.
2. All Government Nominee Directors of PSBs/PFIs/PSICs.
3. R.R.B. Section for issuing similar instructions to RRBs.
4. Department of Personnel & Training (Shri G. Srinivasan, Dy. Secretary) w.r.t. O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.9.2017 and O.M. No.41034/5/2014-Estt.(Res.) Vol.IV (Part) dated 06.10.2017.
5. The Joint Secretary (Shri B.L. Meena), Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi.
6. C.L.O./L.O. of SC/ST/OBC of DFS.
7. Notice Board of DFS.
8. NIC Cell of DFS with a request to upload it at the website of this Department.
9. Guard File.

(Arun Kumar)
Under Secretary to the Government of India

ANNUAL REPORT 2022-23

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
GOVERNMENT OF INDIA

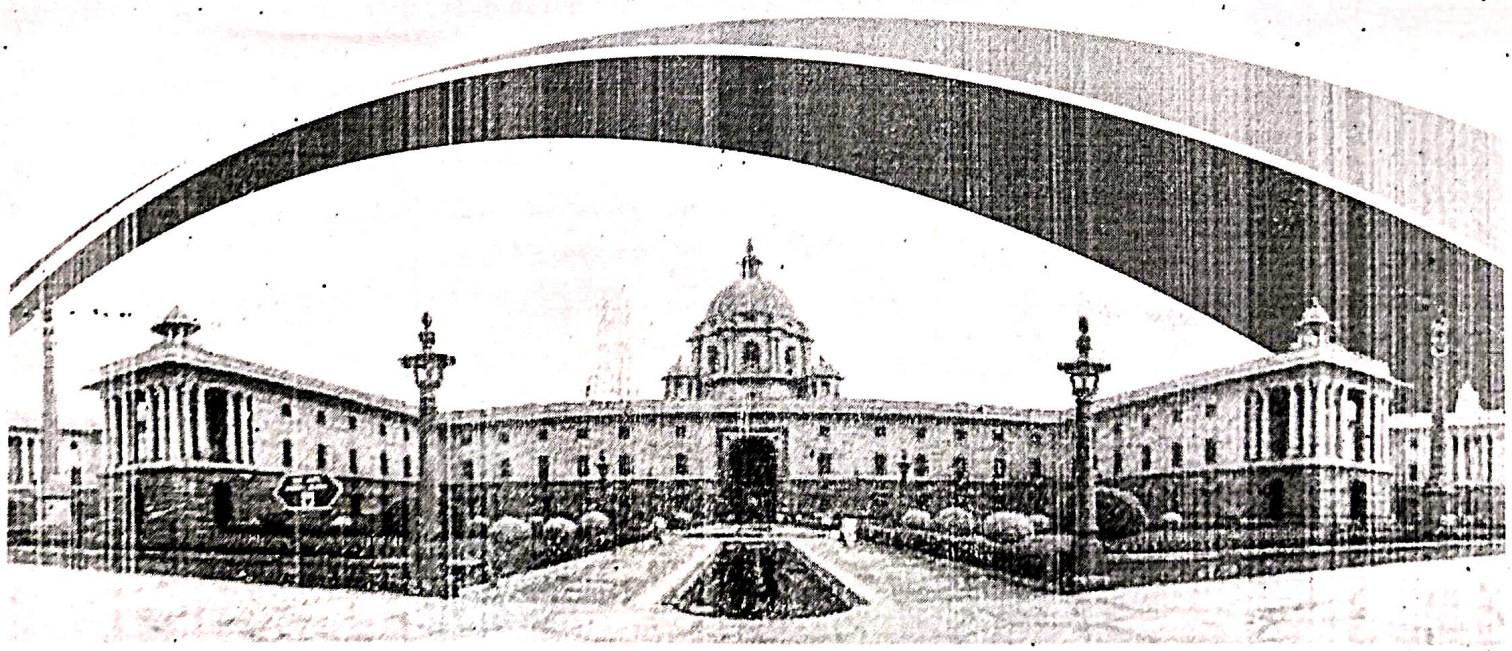

4.5 Relaxations and concessions are given to SC and ST candidates with a view to increasing their representation in services. They get relaxation in upper age limit and exemption from payment of fees. They also get unlimited number of chances within the relaxed age limit prescribed for appearing in the competitive examinations.

4.6 Likewise, the OBC candidate get concession like relaxation in upper age Limit upto three years, relaxation in number of chances up to nine within the relaxed age limit for appearing in the Civil Services Examination etc. The SC/ST/OBC candidates appointed on their 'own merit' are adjusted against unreserved vacancies.

4.7 In case of promotion, the reservation is provided to SCs and STs only which is 15% and 7.5% respectively. Further, SC and ST candidates appointed by promotion on their own merit and seniority and not owing to reservation or relaxation of qualifications will be adjusted against unreserved points of reservation roster, irrespective of the fact whether the promotion is made by selection method or non-selection method. However, the Office Memorandum, dated 13.8.1997, providing 'reservation in promotions' and the Office Memorandum, dated 10.8.2010, relating to 'promotion of SCs/STs on own merit' are under challenge and presently *subjudice* before the Hon'ble Supreme Court. In the SLP No. 30621/2011 titled "Jarnail Singh & Ors. vs. Lachhmi Narian Gupta & Ors. Hon'ble Supreme Court has delivered a judgement in *Jarnail Singh Case* on 28/01/2022 in which Hon'ble Supreme Court has clarified some issues which have emanated from its erstwhile judgment in *M. Nagaraj* case. However, the Hon'ble Supreme Court has not expressed any opinion on the merits of any individual case. In pursuance of the aforesaid judgment in *Jarnail Singh Case*, an OM dated 12/4/2022 has been issued by DoPT vide which Ministries/Departments has been requested to fulfil certain conditions before making reservation in promotion which inter alia include, collection of quantifiable data regarding inadequacy of representation of SC & ST and applicable of the said data to each cadre separately.

4.8 As per data received from 75 Ministries/ Departments, updated information on representation of SCs, STs and OBCs in the posts and services of the Central Government, as on 01.01.2022, is as under:-

GROUP	Total Number of Employees	SC		ST		OBC	
		Number	%	Number	%	Number	%
A	77887	10290	13.21	4678	6.01	14074	18.07
B	156623	24051	15.36	11580	7.39	27344	17.46
C (excluding Safai Karamchari)	1622439	271510	16.73	119931	7.39	368101	22.69
C (Safai Karamchari)	35110	12404	35.33	2474	7.05	6280	17.89
Total	1892059	318255	16.82	138663	7.33	415799	21.98

4.9 Quantum of reservation for the SCs, STs and OBCs in any grade/cadre is determined on the basis of number of posts in the grade/cadre. However, in small cadres having less than 14 posts, where it is not possible to give reservation to all the three categories on the basis of this principle, reservation is provided by rotation by way of L-Shaped 14-Point rosters prescribed by Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/2/96-Estt.(Res.), dated 2.7.1997, issued by DoPT.

(iii) The posts should be 'for conducting research' or 'for organizing, guiding and directing research'.

3.2 Orders of the Minister concerned should be obtained before exempting any posts satisfying the above condition from the purview of the scheme of reservation.

4. CRITERIA OF INCOME & ASSETS:

4.1 Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs and whose family has gross annual income below **Rs. 8.00 lakh (Rupees eight lakh only)** are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application.

Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income:-

i. 5 acres of agricultural land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

4.2. The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

4.3 The term "**Family**" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

5. INCOME AND ASSET CERTIFICATE ISSUING AUTHORITY AND VERIFICATION OF CERTIFICATE:

5.1 The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in **Annexure-I** shall only be accepted as proof of candidate's claim as belonging to EWS: -

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendary

G. Sriram